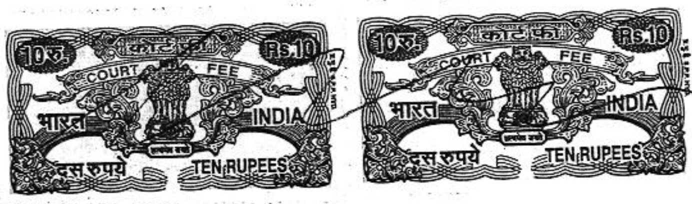

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल जिला भोपाल–(म.प्र.)

अपील क्रं0 . . . . /2015

अपील – 4143– PBR–15

(30)

1. **पतिराम**, आयु वयस्क
   आत्मज स्व.श्री गिरधारीलाल
2. **श्रीमति प्रेम बाई,** आयु वयस्क
   पत्नी श्री पतिराम
3. **श्रीकिशन**, आयु वयस्क
   आत्मज स्व.श्री गिरधारीलाल
4. **नारायण सिंह,** आयु वयस्क
   आत्मज स्व.श्री गिरधारीलाल
5. **राधेश्याम,** आयु वयस्क
   आत्मज श्री पतिराम
6. **दीनदयाल,** आयु वयस्क
   आत्मज श्री पतिराम
7. **सुरेश कुमार,** आयु वयस्क
   आत्मज श्री पतिराम
   निवासीगण एवं कृषक–ग्राम अगरिया चोपड़ा
   तहसील व जिला रायसेन–(म0प्र0) –––– अपीलार्थीगण

श्री संतोष मीना अधि. द्वारा आज दि. 16/12/15 को प्रस्तुत

16/12/15
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष
   रायसेन
   कार्यालय जिलाध्यक्ष कार्यालय रायसेन
2. फ्रेड्स को–आपरेटिव सहमति समिति भोपाल
   द्वारा–
   (1) पी.एम.मथाई आत्मज श्री मथाई
   (2) पी.जी. जाकली
   (3) नयन वर्गीजस
   निवासीगण–बी.एच.ई.एल. भोपाल
3. द्रोपती बाई, आयु वयस्क
   पत्नी श्री जयसिंह
   निवासी–आनंद नगर नाके के पास भोपाल

Revanu-3.. 434

निरंतर.....2 पर

4. हरनाम सिंह आत्मज सरदार मैला सिंह
5. ज्ञान सिंह आत्मज श्री हरीसिंह
6. अमरजीत सिंह, आयु वयस्क
   आत्मज श्री सरदार हरनाम सिंह
7. सरदार मेला सिंह, आयु वयस्क
   आत्मज श्री सरदार हरी सिंह
8. सरदार भान सिंह, आयु वयस्क
   आत्मज श्री सरदार हरी सिंह
9. हरनाम सिंह, आयु वयस्क
   आत्मज श्री सरदार हरी सिंह
10. प्रदीप सिंह, आयु वयस्क
    आत्मज श्री बख्शी सिंह,
11. बख्शी सिंह, आयु वयस्क
    आत्मज श्री लक्ष्मण सिंह
12. हरी सिंह, आयु वयस्क
    आत्मज श्री नन्द सिंह,
13. मैला सिंह, आयु वयस्क
    आत्मज श्री हरी सिंह

निवासीगण–ग्राम अगरिया चोपड़ा
तहसील व जिला रायसेन–(म0प्र0)
वर्तमान निवासीगण–ग्राम बिलखिरिया
तहसील हुजूर जिला भोपाल–(म0प्र0) ——— प्रत्यार्थीगण

प्रेमबाई
पतिराम

अपील अन्तर्गत धारा 41–(3) म0प्र0 कृषि जोत अधिनियम 1960

अपीलार्थीगण माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सह सक्षम प्राधिकारी रायसेन द्वारा प्रकरण क्रं.–1/ए.–90/बी–3/76–77 में पारित आदेश दिनांक 31.03.1997 से असंतुष्ट होकर तथा अपनी असहमति प्रकट करते हुए निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत करते हैं ।

प्रकरण के तथ्य

Revanu-3.. 435

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि फ्रेन्ड्स को–आपरेटिव सहकारी सोसायटी जो कि सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है जिसका पंजीयन क्रमांक–1445/1995 दिनांकित 28.04.1955, उपरोक्त संस्था के सचिव श्री टी.टी. जोसफ आत्मज श्री टी. के. टाईटस

निरंतर.....3 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 4143–पीबीआर / 15 **जिला** रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–1–2016	अपीलार्थीगण की ओर से ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–97 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16–12–15 को लगभग 18 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना बतलाया जाकर दिनांक 20–11–15 को खसरा पॉचसाला की नकल प्राप्त करने पर जानकारी होना दर्शाया गया है । इस प्रकार अपीलार्थीगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 में दर्शाया गया विलम्ब का कारण प्रथम दृष्टया समाधानकारक नहीं होने से यह अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	